एयरोस्पेस-रक्षा निर्माण का केंद्र बनेगा उप्र, 50 हजार करोड़ निवेश का लक्ष्य

योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2024 को दी मंजूरी

कैबिनेट के फैसले

- उत्पादन दोगुणा करने का लक्ष्य, प्रदेश में एक लाख युवाओं को योजना के तहत मिल सकेगा रोजगार
- नीति के लागू होने से स्वदेशी क्षमताओं, नवाचार और वैश्विक सहयोग को मिलेगी गति

राज्य ब्यूरो, जागरण● महाकुंभ नगर: महाकुंभ में श्रद्धा की डुबकी लगाने से पूर्व योगी सरकार ने प्रदेश को एयरोस्पेस और रक्षा निर्माण का अग्रणी केंद्र बनाने का बीड़ा उठाया है। इस क्षेत्र को बढ़ाने के लिए नई नीति को मंजूरी दी गई है। इसके तहत उत्पादन को दोगुणा करने के साथ अगले पांच साल में 50 हजार करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य है। नीति के लागू होने के बाद एक लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। स्वदेशी क्षमताओं, इनोवेशन और वैश्विक सहयोग को गति मिलेगी। रक्षा मंत्रालय ने 2025-26 तक देश में एयरोस्पेस तथा रक्षा उत्पादन को दोगुणा कर 25 बिलियन अमेरिकी डालर और निर्यात को पांच बिलियन अमेरिकी डालर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। योगी सरकार ने प्रदेश को इस लक्ष्य के अनुरूप अग्रणी बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है।

महाकुंभ नगर के त्रिवेणी संकुल में बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2024 पर मुहर लगी। नीति का उद्देश्य यूपी में एयरोस्पेस और रक्षा (एएंडडी) क्षेत्र को सशक्त बनाना है। यूपी रक्षा औद्योगिक गलियारा (यूपीडीआइसी) में एक मजबूत, विश्व स्तरीय, उच्च प्रौद्योगिकी और कुशल एएंडडी मैन्यूफैक्चरिंग वातावरण बनाना है। एएंडडी क्षेत्र में आधुनिकतम केंद्र विकसित करने के लिए स्टार्टअप और निवेश को भी आकर्षित किया जाएगा। स्टार्टअप और एमएसएमई के कौशल और क्षमता विकास के लिए एएंडडी आधारित सामान्य सुविधा केंद्र बनाने पर भी योगी सरकार ने कदम आगे बढ़ाया है। राज्य में प्रमुख एएंडडी विनिर्माण परियोजनाओं और रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों (डीपीएसयू) को आकर्षित करना, अनुसंधान को बढ़ावा देना भी इस नीति का प्रमुख हिस्सा है।

प्रयागराज में मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद बुधवार को पत्रकारों को निर्णय की जानकारी देते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ●सूचना विभाग

ये भी मिलेगी सहायता

- एमएसएमई-स्टार्टअप को स्थापना की तारीख से पांच वर्ष तक प्रति वर्ष एक अंतराष्ट्रीय व्यापार शो में भाग लेने के लिए 15 लाख रुपये और राष्ट्रीय आयोजनों के लिए पांच लाख रुपये की सहायता मिलेगी।
- इकाइयों को घरेलू पेटेंट पंजीकरण के लिए पेटेंट शुल्क के 100% और अंतरराष्ट्रीय के लिए शुल्क के 50% तक की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसकी अधिकतम सीमा प्रति इकाई 25 लाख रुपये तक होगी। सभी इकाइयों को देय प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा एक करोड़ रुपये होगी जो पेटेंट मंजूर होने के बाद दी जाएगी।
- एमएसएमई इकाइयों को एएस-9100 श्रंखला, एनएडीसीएपी आदि गुणवत्ता प्रमाणन के लिए प्रति इकाई अधिकतम एक लाख तक प्रमाणन शुल्क की 100% प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- ट्रेडमार्क पंजीकरण के लिए आवेदन शुल्क की अधिकतम एक लाख रुपये तक पूरी तरह से प्रतिपूर्ति की जाएगी।

एआइ-साफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर को प्रोत्साहन

सरकार राज्य में उन कंपनियों के विकास को बढ़ावा देना चाहती है जो एएंडडी में भारत की आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण का समर्थन करती हैं। नीति के जरिये इस सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साफ्टवेयर विकास केंद्र को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। एएंडडी सेक्टर की इकाइयों को लैंड सब्सिडी, स्टांप ड्यूटी से छूट और कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। परिवहन शुल्क पर छूट जैसी सुविधाएं भी सरकार प्रदान करेगी। नीति में महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए सभी लागू सब्सिडी पर अतिरिक्त दो प्रतिशत प्रदान करने की व्यवस्था भी की गई है।

कौशल विकास और अनुसंधान पर जोर : नीति के तहत प्रदेश सरकार सरकारी आइटीआइ-पालिटेक्निक में उद्योग के परामर्श से नये पाठ्यक्रम शुरू करेगी। प्रत्येक रक्षा इकाई को एक वर्ष की अवधि के लिए प्रति व्यक्ति 10 हजार की सीमा तक अधिकतम 20 लोगों को कौशल प्रदान करने की लागत वहन करेगी। राज्य अग्रणी तकनीकी संस्थानों को उत्कृष्ट केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए एक वर्ष में 10 करोड़ की सहायता भी मिल सकेगी।

नई नीति की प्रमुख बातें

- मेगा एंकर और एंकर इकाइयां अपने भूमि क्षेत्र के 20% हिस्से में विक्रेता इकाई स्थापित कर सकेंगी।
- रक्षा गलियारे में कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा आवंटित भूमि पार्सल के 10 वर्ष की अवधि का पट्टा किराया भूमि लागत का एक प्रतिशत और 10 वर्ष से अधिक के लिए 1.5% होगा।
- इकाइयों को रक्षा गलियारे में भूमि सब्सिडी के रूप में सकल विक्रय मूल्य के 25 प्रतिशत की छूट।
- भूमि क्रय-पट्टा विलेख में स्टांप ड्यूटी में 10 प्रतिशत की छूट। इसके लिए स्टांप राशि के बराबर बैंक गारंटी संबंधित शासनादेश के अनुसार जमा होगी।
- इकाइयां पश्चिमांचल व मध्यांचल में 25 प्रतिशत और बुंदेलखंड व पूर्वांचल क्षेत्र में 35 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी के लिए पात्र होंगी।
- आयातित उपकरण, संयंत्र और मशीनरी के परिवहन पर परिवहन लागत के 50% की सब्सिडी की पात्रता होगी, जो लाजिस्टिक पार्क, परिवहन केंद्र, बंदरगाह आदि से राज्य में उत्पादन स्थल तक परिवहन के लिए होगी। सब्सिडी की अधिकतम सीमा पांच करोड़ रुपये होगी।
- तैयार उत्पादों के परिवहन के लिए भी सब्सिडी की उपरोक्त व्यवस्था वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ होने की तारीख से पांच साल की अवधि तक के लिए रहेगी।
- पर्यावरण संरक्षण इंफ्रांस्ट्रक्चर स्थापित करने पर 25 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी, जिसकी अधिकतम सीमा एक करोड़ रुपये होगी।
- राज्य सामान्य सुविधा केंद्र-कौशल एवं प्रशिक्षण केंद्र के लिए पूंजी निवेश का 50%, अधिकतम 10 करोड़ रुपये प्रदान करेगा।

अशोक लीलैंड को 106.51 करोड़ की सब्सिडी

कैबिनेट की बैठक में हिंदूजा समूह की कंपनी अशोक लीलैंड को 106.51 करोड़ की सब्सिडी देने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। अशोक लीलैंड को यह सब्सिडी एफडीआई व फार्च्यून 500 कंपनियों के निवेश के लिए प्रोत्साहन नीति 2023 के तहत भूमि खरीदने के संबंध में प्रदान की जाएगी। कंपनी को सब्सिडी की राशि यूपीसीडा के जरिये प्रदान की जाएगी। इस संदर्भ में इम्पावर्ड कमेटी ने बीते वर्ष 27 सितंबर को संस्तुति दी थी। एफडीआइ नीति के तहत उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) द्वारा अशोक लीलैंड को दी गई भूमि की लागत की 75 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाएगा। साथ ही निर्धारित समय में उत्पादन शुरू न होने पर यूपीसीडा 12% ब्याज की दर से सब्सिडी की राशि की वसूली करेगा।

एयरोस्पेस-रक्षा निर्माण का केंद्र बनेगा उप्र, 50 हजार करोड़ निवेश का लक्ष्य

योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2024 को दी मंजूरी

कैबिनेट के फैसले

- उत्पादन दोगुणा करने का लक्ष्य, प्रदेश में एक लाख युवाओं को योजना के तहत मिल सकेगा रोजगार
- नीति के लागू होने से स्वदेशी क्षमताओं, नवाचार और वैश्विक सहयोग को मिलेगी गति

राज्य ब्यूरो, जागरण• महाकुंभ नगर: महाकुंभ में श्रद्धा की डुबकी लगाने से पूर्व योगी सरकार ने प्रदेश को एयरोस्पेस और रक्षा निर्माण का अग्रणी केंद्र बनाने का बीड़ा उठाया है। इस क्षेत्र को बढ़ाने के लिए नई नीति को मंजूरी दी गई है। इसके तहत उत्पादन को दोगुणा करने के साथ अगले पांच साल में 50 हजार करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य है। नीति के लागू होने के बाद एक लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। स्वदेशी क्षमताओं, इनोवेशन और वैश्विक सहयोग को गति मिलेगी। रक्षा मंत्रालय ने 2025-26 तक देश में एयरोस्पेस तथा रक्षा उत्पादन को दोगुणा कर 25 बिलियन अमेरिकी डालर और निर्यात को पांच बिलियन अमेरिकी डालर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। योगी सरकार ने प्रदेश को इस लक्ष्य के अनुरूप अग्रणी बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है।

महाकुंभ नगर के त्रिवेणी संकुल में बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2024 पर मुहर लगी। नीति का उद्देश्य यूपी में एयरोस्पेस और रक्षा (एएंडडी) क्षेत्र को सशक्त बनाना है। यूपी रक्षा औद्योगिक गलियारा (यूपीडीआइसी) में एक मजबूत, विश्व स्तरीय, उच्च प्रौद्योगिकी और कुशल एएंडडी मैन्युफैक्चरिंग वातावरण बनाना है। एएंडडी क्षेत्र में आधुनिकतम केंद्र विकसित करने के लिए स्टार्टअप और निवेश को भी आकर्षित किया जाएगा। स्टार्टअप और एमएसएमई के कौशल और क्षमता विकास के लिए एएंडडी आधारित सामान्य सुविधा केंद्र बनाने पर भी योगी सरकार ने कदम आगे बढ़ाया है। राज्य में प्रमुख एएंडडी विनिर्माण परियोजनाओं और रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों (डीपीएसयू) को आकर्षित करना, अनुसंधान को बढ़ावा देना भी इस नीति का प्रमुख हिस्सा है।

प्रयागराज में मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद बुधवार को पत्रकारों को निर्णय की जानकारी देते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ • सूचना विभाग

ये भी मिलेगी सहायता

- एमएसएमई-स्टार्टअप को स्थापना की तारीख से पांच वर्ष तक प्रति वर्ष एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार शो में भाग लेने के लिए 15 लाख रुपये और राष्ट्रीय आयोजनों के लिए पांच लाख रुपये की सहायता मिलेगी।
- इकाइयों को घरेलू पेटेंट पंजीकरण के लिए पेटेंट शुल्क के 100% और अंतरराष्ट्रीय के लिए शुल्क के 50% तक की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसकी अधिकतम सीमा प्रति इकाई 25 लाख रुपये तक होगी। सभी इकाइयों को देय प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा एक करोड़ रुपये होगी जो पेटेंट मंजूर होने के बाद दी जाएगी।
- एमएसएमई इकाइयों को एएस-9100 श्रृंखला, एनएडीसीएपी आदि गुणवत्ता प्रमाणन के लिए प्रति इकाई अधिकतम एक लाख तक प्रमाणन शुल्क की 100% प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- ट्रेडमार्क पंजीकरण के लिए आवेदन शुल्क की अधिकतम एक लाख रुपये तक पूरी तरह से प्रतिपूर्ति की जाएगी।

एआइ-साफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर को प्रोत्साहन

सरकार राज्य में उन कंपनियों के विकास को बढ़ावा देना चाहती है जो एएंडडी में भारत की आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण का समर्थन करती हैं। नीति के जरिये इस सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साफ्टवेयर विकास केंद्र को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। एएंडडी सेक्टर की इकाइयों को लैंड सब्सिडी, स्टांप ड्यूटी से छूट और कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। परिवहन शुल्क पर छूट जैसी सुविधाएं भी सरकार प्रदान करेगी। नीति में महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए सभी लागू सब्सिडी पर अतिरिक्त दो प्रतिशत प्रदान करने की व्यवस्था भी की गई है।

कौशल विकास और अनुसंधान पर जोर : नीति के तहत प्रदेश सरकार सरकारी आइटीआइ-पालिटेक्निक में उद्योग के परामर्श से नये पाठ्यक्रम शुरू करेगी। प्रत्येक रक्षा इकाई को एक वर्ष की अवधि के लिए प्रति व्यक्ति 10 हजार की सीमा तक अधिकतम 20 लोगों को कौशल प्रदान करने की लागत वहन करेगी। राज्य आगे तकनीकी संस्थानों को उत्कृष्ट केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए एक वर्ष में 10 करोड़ की सहायता भी मिल सकेगी।

नई नीति की प्रमुख बातें

- मेगा एंकर और एंकर इकाइयां अपने भूमि क्षेत्र के 20% हिस्से में विक्रेता इकाई स्थापित कर सकेंगी।
- रक्षा गलियारे में कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा आवंटित भूमि पार्सल के 10 वर्ष की अवधि का पट्टा किराया भूमि लागत का एक प्रतिशत और 10 वर्ष से अधिक के लिए 1.5% होगा।
- इकाइयों को रक्षा गलियारे में भूमि सब्सिडी के रूप में सकल विक्रय मूल्य के 25 प्रतिशत की छूट।
- भूमि क्रय-पट्टा विलेख में स्टांप ड्यूटी में 10 प्रतिशत की छूट। इसके लिए स्टांप राशि के बराबर बैंक गारंटी संबंधित शासनादेश के अनुसार जमा होगी।
- इकाइयां पश्चिमांचल व मध्यांचल में 25 प्रतिशत और बुंदेलखंड व पूर्वांचल क्षेत्र में 35 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी के लिए पात्र होंगी।
- आयातित उपकरण, संयंत्र और मशीनरी के परिवहन पर परिवहन लागत के 50% की सब्सिडी की पात्रता होगी, जो लाजिस्टिक पार्क, परिवहन केंद्र, बंदरगाह आदि से राज्य में उत्पादन स्थल तक परिवहन के लिए होगी। सब्सिडी की अधिकतम सीमा पांच करोड़ रुपये होगी।
- तैयार उत्पादों के परिवहन के लिए भी सब्सिडी की उपरोक्त व्यवस्था वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ होने की तारीख से पांच साल की अवधि तक के लिए रहेगी।
- पर्यावरण संरक्षण इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने पर 25 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी, जिसकी अधिकतम सीमा एक करोड़ रुपये होगी।
- राज्य सामान्य सुविधा केंद्र-कौशल एवं प्रशिक्षण केंद्र के लिए पूंजी निवेश का 50%, अधिकतम 10 करोड़ रुपये प्रदान करेगा।

अशोक लीलैंड को 106.51 करोड़ की सब्सिडी

कैबिनेट की बैठक में हिंदुजा समूह की कंपनी अशोक लीलैंड को 106.51 करोड़ की सब्सिडी देने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। अशोक लीलैंड को यह सब्सिडी एफडीआई व फार्च्यून 500 कंपनियों के निवेश के लिए प्रोत्साहन नीति 2023 के तहत भूमि खरीदने के संबंध में प्रदान की जाएगी। कंपनी को सब्सिडी की राशि यूपीसीडा के जरिये प्रदान की जाएगी। इस संदर्भ में इम्पावर्ड कमेटी ने बीते वर्ष 27 सितंबर को संस्तुति दी थी। एफडीआइ नीति के तहत उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) द्वारा अशोक लीलैंड को दी गई भूमि की लागत की 75 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाएगा। साथ ही निर्धारित समय में उत्पादन शुरू न होने पर यूपीसीडा 12% ब्याज की दर से सब्सिडी की राशि की वसूली करेगा।

यह और उप्र की अन्य खबरें www.jagran.com पर पढ़ें

युवाओं के लिए 25 लाख स्मार्ट फोन खरीदेगी सरकार

राज्य ब्यूरो, जागरण• महाकुंभ नगर: राज्य सरकार प्रदेश के 25 लाख युवाओं को स्मार्ट फोन वितरित करेगी। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत स्मार्ट फोन खरीदने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्मार्ट फोन खरीदने के लिए 4,000 करोड़ रुपये का बजट प्रविधान किया है।

सरकार ने युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने के लिए वर्ष 2021 में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना का शुभारंभ किया था। योजना के तहत उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, कौशल विकास व आइटीआइ में पंजीकृत युवाओं को निश्शुल्क स्मार्ट फोन व टैबलेट का वितरण किया जाता है।

औद्योगिक विकास मंत्री मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने बताया कि योजना के तहत 22.80 लाख टैबलेट व 37.25 लाख स्मार्ट फोन की खरीद पिछले वर्ष तक की गई है। इसके सापेक्ष बीते वर्ष नवंबर तक 13.35 लाख टैबलेट व 35.05 लाख स्मार्ट फोन वितरित किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि कैबिनेट की बैठक में स्मार्ट फोन की खरीद को लेकर अंतिम बिड डाक्यूमेंट को स्वीकृति प्रदान की गई है।

सीएम ने दिया एनडीए की एकजुटता का संदेश

राज्य ब्यूरो, जागरण• महाकुंभ नगर: त्रिवेणी तट पर कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनडीए की एकजुटता का संदेश भी दिया। कैबिनेट निर्णयों की जानकारी मीडिया को देते समय एक ऐसा मौका भी आया जब भाजपा के सहयोगी दलों के नेता पीछे खड़े हुए थे। इस पर मुख्यमंत्री ने खुद सुभासपा प्रमुख और पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर, अपना दल के कार्यकारी अध्यक्ष व प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल, निषाद पार्टी के अध्यक्ष व मत्स्य मंत्री संजय निषाद और रालोद कोटे से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री बने अनिल कुमार को आवाज देकर आगे अपने बगल में बुला लिया।

मुख्यमंत्री प्रेस कान्फ्रेंस के बीच में ही बोले, कहां गए राजभर जी, कहां गए अपने आशीष पटेल जी, निषाद राज कहां हैं। कहां हैं सबलोग, आप लोग पीछे कहां छुपे हैं। अनिल कहां हैं। इसके बाद एक-एक कर संजय निषाद, आशीष पटेल, अनिल कुमार सबसे आगे मुख्यमंत्री के बगल में आकर खड़े हो गए। मुख्यमंत्री ने इसके जरिये यह संदेश देने की कोशिश की कि उनकी सरकार सहयोगी दलों का पूरा सम्मान करती है।

मंत्रिमंडल सहयोगियों संग योगी ने संगम में लगाई पुण्य की डुबकी

- आस्था के सबसे बड़े महोत्सव से सीएम ने दिया आत्मशुद्धि का संदेश
- कुंभ में संगम तट पर दूसरी बार कैबिनेट की बैठक, कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए
- उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद व ब्रजेश पाठक समेत सभी मंत्रियों ने किया गंगा स्नान

राज्य ब्यूरो, जागरण• महाकुंभ नगर: श्रद्धा-आस्था का सबसे बड़ा महोत्सव महाकुंभ बुधवार को धर्म के समक्ष राजनीति के नतमस्तक होने का साक्षी बना और योगी आदित्यनाथ सरकार की इस परंपरा को आगे बढ़ाया जिसकी शुरुआत 2019 के कुंभ से हुई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल समूह के सभी सदस्यों के साथ पावन त्रिवेणी में डुबकी लगाकर विश्व को आत्मशुद्धि का संदेश दिया व लोक कल्याण की कामना की। इस अवसर को ऐतिहासिक स्वरूप देते हुए संगम तट पर कैबिनेट बैठक भी हुई और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि संगम स्नान न केवल भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का प्रतीक है बल्कि आत्मिक शांति, धार्मिक समर्पण और समाज कल्याण का संदेश देता है। यह समग्र लोक कल्याण का आह्वान है।

मुख्यमंत्री बुधवार दोपहर लगभग 12 बजे प्रयागराज पहुंचे और सबसे पहले कैबिनेट बैठक की। इसके बाद उन्होंने दोनों उप मुख्यमंत्रियों केशव मौर्य व ब्रजेश पाठक के साथ पत्रकारों को निर्णयों की जानकारी दी। तत्पश्चात अरैल स्थित त्रिवेणी संकुल में पूजा-अर्चना की और विशेष रूप से तैयार मोटरबोट में संगम पहुंचे। यहां 'पूरी सरकार' ने एक साथ स्नान कर मां गंगा के समक्ष सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया। योगी आदित्यनाथ की सरकार में यह दूसरा अवसर है, जब पूरे मंत्रिमंडल ने एक साथ कुंभ में संगम स्नान किया है। इससे पूर्व 2019 में भी योगी ने मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ संगम में आस्था की डुबकी लगाई थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकुंभ-2025 के इस दिव्य आयोजन में दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं और संगम में पावन डुबकी लगा रहे हैं। यह स्नान धर्म, संस्कृति और आस्था का संदेश देता है। यह न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि आत्मशुद्धि का पवित्र आह्वान भी है। महाकुंभ भारतीय संस्कृति की दिव्यता और सार्वभौमिकता का प्रतीक है। यहां से जनमानस को यह संदेश मिलता है कि धर्म और संस्कृति की शक्ति से जीवन में शुद्धता और समृद्धि लाई जा सकती है।

मुख्यमंत्री के साथ वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, लक्ष्मी नारायण चौधरी, धर्मपाल और अनिल राजभर सहित सभी 21 कैबिनेट मंत्रियों, बाकी स्वतंत्र प्रभार वाले राज्यमंत्रियों व राज्यमंत्रियों ने संगम में विधिवत स्नान और पूजन किया। स्थानीय भाजपा विधायक दीपक पटेल व हर्षवर्धन वाजपेयी ने भी पुण्य की डुबकी लगाई।

गंगा एक्सप्रेसवे व विंध्य एक्सप्रेसवे की सीधी कनेक्टिविटी होगी : योगी

जासं, महाकुंभ नगर: मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रेसवार्ता में मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि विंध्य एक्सप्रेसवे पर चंदौली से प्रारंभ होकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अंतिम बिंदु गाजीपुर तक विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे का भी निर्माण किया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे और विंध्य एक्सप्रेसवे की सीधी कनेक्टिविटी होगी। साथ ही, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ व झारखंड से भी अच्छा संपर्क स्थापित हो सकेगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि यहां सलोरी से हेतापट्टी तक नए ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। शास्त्री ब्रिज और यमुना सिग्नेचर ब्रिज के समानांतर नए ब्रिज को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। तीनों ब्रिज स्मार्ट प्रयागराज की परिकल्पना को साकार करेंगे। कैबिनेट के अन्य निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रयागराज, वाराणसी और आगरा म्युनिसिपल कारपोरेशन को बांड जारी करने की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही 2018 में बनाई गई एयरोस्पेस डिफेंस पालिसी के नवीनीकरण का निर्णय भी किया। प्रयागराज-चित्रकूट डेवलपमेंट जोन और वाराणसी-विंध्य डेवलपमेंट जोन के रूप में दो सतत विकास क्षेत्र घोषित किए गए हैं। अभियोजना निदेशालय को स्वीकृति दी गई है। मीरजापुर में दस हजार करोड़ का निवेश हुआ है। युवाओं को टैबलेट बांटने का भी निर्णय हुआ। बलरामपुर में केजीएमयू के सेटेलाइट सेंटर को मेडिकल कालेज बनाया जाएगा। बागपत, हाथरस व कासगंज में पीपीपी माडल पर नए मेडिकल कालेज खोलने की स्वीकृति भी मिली है। टाटा टेक्नालाजी से मिलकर 62 आइटीआइ व पांच ट्रेनिंग सेंटर उच्चीकृत होंगे।

प्रयागराज, वाराणसी व आगरा नगर निगमों के म्यूनिसिपल बांड जारी होंगे

राज्य ब्यूरो, जागरण• महाकुंभ नगर: प्रदेश के तीन और नगर निगमों के म्यूनिसिपल बांड जारी किए जाएंगे। कैबिनेट की बैठक में प्रयागराज, वाराणसी व आगरा नगर निगमों के लिए 50-50 करोड़ रुपये के म्यूनिसिपल बांड जारी करने का अनुमोदन मिल गया है। प्रदेश के तीनों शहरों के लिए 50 करोड़ रुपये मूल्य के आवंटित नगर निगम बांड स्वास्थ्य सुविधाओं, सौर ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और पर्यटन से संबंधित विकास सहित विभिन्न राजस्व-उत्पादक परियोजनाओं पर खर्च होंगे। इससे पहले लखनऊ और गाजियाबाद नगर निगमों के म्यूनिसिपल बांड जारी किए गए थे।

अमृत शहरों के रूप में चयनित नगरों में परियोजनाओं को पूरा करने के लिए धनराशि की व्यवस्था, अवस्थापना सुविधाओं के विकास, निकायों की साख बढ़ाने, उनको बाजार उन्मुखी करने के लिए म्यूनिसिपल बांड जारी किए जाएंगे। इससे नगर निगमों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के साथ-साथ सेवा क्षेत्र में सुधार आएगा। भारत सरकार की योजना के अंतर्गत म्यूनिसिपल बांड फ्लोट करने के लिए प्रोत्साहन की धनराशि भी उपलब्ध करायी जाएगी। बांड के जरिये बाजार से धनराशि एकत्र करने पर हर 100 करोड़ रुपये के सापेक्ष 13 करोड़ रुपये का अनुदान इन नगर निगमों को दिया जाएगा। भारत सरकार द्वारा प्रोत्साहन की धनराशि एस्क्रो अकाउंट में डालने का प्रावधान किया गया है।

हर जिले में भी अब होगा अभियोजन निदेशालय

राज्य ब्यूरो, जागरण• महाकुंभ नगर: न्यायालय में मुकदमों के त्वरित निस्तारण व दोषियों को सजा दिलाने का प्रतिशत बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने नए कानून (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023) की धारा 20 के तहत स्वतंत्र रूप से अभियोजन निदेशालय के गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। मुख्यालय के अलावा अब हर जिले में जिला अभियोजन निदेशालय की स्थापना होगी, जिनमें उप निदेशक व अभियोजन सहायक निदेशक प्रभारी होंगे।

अभियोजन निदेशक का चयन व नियुक्ति अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव गृह की अध्यक्षता में गठित सर्च कमेटी करेगी। कमेटी में प्रमुख सचिव न्याय व विधि परामर्शी, डीजीपी व सचिव गृह विभाग सदस्य होंगे। चयन प्रक्रिया सर्च कमेटी खुद निर्धारित करेगी। अभियोजन निदेशालय की स्थापना के लिए सरकार जल्द ही बजट उपलब्ध कराएगी। अभियोजन निदेशक का कार्यकाल न्यूनतम तीन वर्ष का होगा और वह 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त होंगे। अभियोजन निदेशालय के प्रमुख अभियोजन निदेशक होंगे, जो गृह विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करेंगे। राज्य सरकार किसी आपराधिक मामले, भ्रष्टाचार या कर्तव्य पालन में अक्षम पाए जाने पर अभियोजन निदेशक को कार्यकाल के दौरान हटा सकेगी।

डीएम की भी होगी भूमिका

नई व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए जिला स्तर पर डीएम की भूमिका भी निर्धारित की गई है। डीएम अभियोजन कार्यों के साथ ही अभियोजन कार्यालय के अधिकारियों के कामकाज का पर्यवेक्षण व समीक्षा करेंगे।

अभियोजन निदेशक के लिए पात्रता भी निर्धारित की गई है। कोई अधिवक्ता/अभियोजक जिसे कम से कम 15 वर्षों का अनुभव हो अथवा सेशन न्यायाधीश (वर्तमान/पूर्व) को अभियोजन निदेशक के पद पर नियुक्त किया जाएगा। सरकार ने अभियोजन निदेशालय के मुख्यालय, क्षेत्रीय व जिला कार्यालयों के लिए स्थायी व अस्थायी पदों के सृजन की भी स्वीकृति प्रदान की है। राज्य सरकार इस अधिसूचना के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम व विनियम बनाने के साथ ही शासनादेश व निर्देश जारी करेगी। प्रदेश में 27 नवंबर, 1980 को अभियोजन निदेशालय का गठन हुआ था। अभियोजन निदेशक के रूप में दिसंबर, 1980 से अब तक आइपीएस अधिकारी अभियोजन विभाग की कमान संभालते आए हैं। अब आइपीएस अधिकारियों का नियंत्रण समाप्त हो जाएगा।

बलरामपुर में केजीएमयू का सेटेलाइट कैंपस अब सरकारी मेडिकल कालेज

राब्यू, जागरण• महाकुंभ नगर: बलरामपुर में केजीएमयू के प्रस्तावित सैटेलाइट कैंपस को अब सरकारी मेडिकल कालेज में परिवर्तित किए जाने का निर्णय लिया गया है। अब यह सरकारी मेडिकल कालेज के रूप में संचालित होगा। मेडिकल कालेज 166 बेड के राजकीय संयुक्त चिकित्सालय को उच्चीकृत कर बनाया जाएगा। कैबिनेट ने इस चिकित्सालय की संपत्तियों को मेडिकल कालेज को निश्शुल्क हस्तांतरित करने का निर्णय लिया।

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) के मानकों के तहत इस मेडिकल कालेज के लिए शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक संवर्गों के कुल 1,394 पदों का सृजन भी किया गया है। इसमें एमबीबीएस की 100 सीटों की मान्यता लेने की कोशिश की जाएगी। स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय सोसाइटी, बलरामपुर इसका संचालन करेगी। अभी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन 166 बेड के सरकारी अस्पताल को मेडिकल कालेज बनाने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग को दिया जाएगा। वहीं 300 बेड के चिकित्सालय भवन के लिए चिह्नित की जा चुकी भूमि को भी इसे देने का निर्णय लिया गया है। अभी जो डाक्टर एवं कर्मचारी राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में कार्यरत हैं, उन्हें तीन वर्षों के लिए प्रतिनियुक्ति पर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन चलने वाले मेडिकल कालेज में भेजा जा सकेगा। यह अवधि दोनों विभागों की आपसी सहमति से अधिकतम पांच वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 तक राजकीय संयुक्त चिकित्सालय के अनुरक्षण, बिजली बिल, संपत्ति कर व जलकर सहित सभी देयकों का भुगतान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग करेगा। अगले वित्तीय वर्ष से यह भुगतान चिकित्सा शिक्षा विभाग करेगा। बलरामपुर में कालेज बनने से लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उन्हीं के जिले में मिल सकेगी।

- 166 बेड के सरकारी चिकित्सालय को उच्चीकृत कर बनाया जाएगा
- मेडिकल कालेज के लिए 1,394 पदों का किया गया सृजन

एमबीबीएस की बढ़ेंगी 350 सीटें

पीपीपी माडल पर हाथरस, कासगंज व बागपत में खुलने वाले मेडिकल कालेजों में एमबीबीएस की 100-100 सीटें होंगी। वहीं बलरामपुर के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में एमबीबीएस की 50 सीटें होंगी। अभी एमबीबीएस की कुल 11,600 सीटें हैं जो आगे बढ़कर 11,950 हो जाएगी। शैक्षिक सत्र 2026-27 से यहां पढ़ाई शुरू कराने की कोशिश की जाएगी।

हाथरस, बागपत व कासगंज में पीपीपी माडल पर मेडिकल कालेज

- तीनों जिलों में निर्माण के लिए निजी संस्थाओं का हुआ चयन
- केंद्र सरकार की वीजीएफ योजना के तहत मिलेगी मदद

हाथरस, बागपत व कासगंज जिलों में सार्वजनिक-निजी सहभागिता (पीपीपी) माडल पर मेडिकल कालेज बनाए जाएंगे। तीनों जिलों में मेडिकल कालेज के निर्माण के लिए निजी संस्थाओं के चयन पर भी बुधवार को कैबिनेट ने मुहर लगा दी गई। केंद्र सरकार की वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) योजना के तहत इन्हें वित्तीय मदद भी दी जाएगी। इन जिलों में मेडिकल कालेज बनने से लोगों को बेहतर बेहतर चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। वहीं शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक संवर्ग के पदों पर भर्ती होने से लोगों को रोजगार भी मिलेगा।

हाथरस में राजश्री एजुकेशनल ट्रस्ट को मेडिकल कालेज स्थापित करने के लिए चयनित किया गया है। यह 117.10 करोड़ रुपये से इसका निर्माण करेगा। कासगंज में भी राजश्री एजुकेशनल ट्रस्ट को ही मेडिकल कालेज स्थापित करने के लिए चयनित किया गया है जो मेडिकल कालेज के निर्माण पर 138.90 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च करेगा। बागपत में जयपाल सिंह शर्मा ट्रस्ट मेडिकल कालेज स्थापित करेगा। यह ट्रस्ट 101 करोड़ रुपये खर्च कर मेडिकल कालेज बनाएगा। अब इन्हें मिलाकर प्रदेश में 69 जिलों में मेडिकल कालेज या तो स्थापित हैं या फिर उनका निर्माण किया जाना है। अब बाकी छह जिलों रामपुर, भदोही, चित्रकूट, संत कबीर नगर, बलिया और श्रावस्ती में पीपीपी माडल पर मेडिकल कालेज बनाने के लिए जल्द निविदा आमंत्रित की जाएगी। फिर एक जिला एक मेडिकल कालेज का लक्ष्य पूरा हो जाएगा।

****